न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -43/2022

अनवान

अब्दुल सत्तार पुत्र स्व0 पीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र 61 वर्ष, निवासी भैंसरोड़गढ़, राज0 पेशा सेवानिवृत्त कर्मचारी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित - श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी

पेरोकार सरकार अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक 01.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अब्दुल सत्तार पुत्र स्व0 श्री पीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र 61 वर्ष, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राज0 पेशा सेवानिवृत कर्मचारी तहसील रावतभाटा के नाम दर्ज खातेदारी रिकॉर्ड, स्वामित्व एवं कब्जे की भूमियों जो वाके ग्राम भैंसरोड़गढ़, पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 05 में खसरा संख्या 481 रकबा 0.8600 हेक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त अंकित आराजी नम्बर 481 रकबा 0.8600 हेक्टर भूमि का गत भू-प्रबंध अनुसार मिलान खसरा अनुसार आराजी नम्बर 155/11 मी0 रकबा 0.86 हेक्टर अंकित है, जो मूल आराजी नम्बर 155 में स्थित है। उक्त भूमि का नक्शा गत भू-प्रबन्ध के रिकॉर्ड अनुसार मेरे कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि अनुसार है। जिसकी नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 04.12.2002 तहसील कार्यालय रावतभाटा से जारी सुदा की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है परन्तु नवीन भू-प्रबन्ध विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त रिकॉर्ड सन् 2002 के रिकॉर्ड नक्शा अनुसार नवीन भू-प्रबन्ध अनुसार आराजी नम्बर 481 रकबा 0.8600 हेक्टर भूमि का नक्शा मेरे स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि अनुसार नहीं बनाया जाकर गत भू-प्रबन्ध के मूल आराजी नंबर 155 में अन्यत्र बनाया गया है। नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 03.09.2020 , प0ह0 भैंसरोड़गढ़, द्वारा जारी की गई कि प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। नवीन भू-प्रबन्ध विभाग से प्राप्त नक्शे में की गई तरमीम पूर्व नक्शे एवं मेरे स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि अनुसार सही नहीं हैं। नक्शा तरमीम में त्रुटि की गई है, जिसे पुनः मेरे स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि के अनुसार तरमीम की जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी अब्दुल सत्तार पिता स्व0 पीर मोहम्मद के नाम अंकित भूमि की रिकॉर्ड, कब्जे एवं मौके अनुसार दुरूस्ती कर त्रुटि को सुधारा जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी इसी आशय की दुरूस्ती कर सही एवं वास्तविक नक्शा तरमीम किया जाने का आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 भैंसरोडगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2076-79 की खाता संख्या 5 खसरा संख्या 481 कुल किता 01 कुल रकबा 0.86है0 भूमि अब्दुल सत्तार पिता पीर मोहम्मद के नाम के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के नाम वर्तमान में अंकित 481 रकबा 0.86है0 भूमि के मिलान खसरा अनुसार गत-प्रबन्धक आराजी संख्या 155/11 रकबा 0.86है0 अंकित है जो मूल आराजी संख्या 155 मे स्थित है। नवीन भू-प्रबन्धक विभाग भीलवाडा से प्राप्त रिकार्ड 2002 नक्शा अनुसार नवीन भू-प्रबन्धक आराजी संख्या 481 रकबा 0.86है0 भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी के कब्जाशुदा भूमि के गत भू-प्रबन्ध के आराजी संख्या 155 स्थित थी जिससे अन्यत्र तरमीम कर दर्शायी गई है। कब्जानुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी संख्या 481 रकबा 0.86है0 भूमि के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 155/11 रकबा 0.86है0 अंकित है जो मूल आराजी संख्या 155 में स्थित है। गत भू-प्रबन्ध के द्वारा आराजी संख्या 155 प्रार्थी के कब्जाशुदा भूमि को अन्यत्र तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के कब्जे अनुसार गत भू-[illegible] जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भैंसर[illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 आराजी संख्या 481 रकबा 0.86है0 अब्दुल सत्तार पुत्र स्व0 पीर मोहम्मद खाते[illegible] के राजस्व नक्शा में तहसीलदार रावतभाटा की सलंग्न रिपोर्ट अनुसार गत भू-प्रबन्ध रिकार्ड अनुसार दुरूस्ती कर राजस्[illegible]र्ड में नक्शा तरमीम कर अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.25 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)